स्वतंत्रता के प्रकार
Types of liberty

राजनीतिक विज्ञान में स्वतंत्रता के विभिन्न रूप प्रचलित है जिनमें कुछ प्रमुख हैं। —

1. प्राकृतिक स्वतंत्रता (NATURAL liberty) —

प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ मनुष्यों की अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता से है। मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र होता है। इसी विचार को व्यक्त करते हुए रूसो ने कहा था कि "मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, किन्तु सर्वत्र यह बेड़ियों में बंधा हुआ है।" संविदावादी विचारकों का मत है कि राज्य की उत्पत्ति के पूर्व व्यक्तियों को इस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी। प्राकृतिक स्वतंत्रता की इस धारणा के अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त और निरपेक्ष होती है अर्थात समाज या राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भी प्रकार से

प्रतिबंधित तथा सीमित नहीं कर सकता है।

लेकिन व्यवहार में प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ है केवल शक्तिशाली व्यक्तियों की स्वतंत्रता। जिस समाज में स्वतंत्रता का तात्पर्य केवल शक्तिशाली व्यक्तियों की सत्ता से हो वहां निर्बलों का कोई जीवन नहीं होगा। सामूहिक हित में स्वतंत्रता को सीमित करना नितांत आवश्यक है।

2). व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Personal liberty)

मनुष्य की अपने निजी कार्यों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके व्यक्तिगत कार्यों पर केवल समाज हित में ही बंधन लगाए जा सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों की निजी स्वतंत्रता का बहुत महत्व स्वतंत्रता का रूप है उन्हें अपनी पसंद, विचार, अभिव्यक्ति और मूल्यों के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता होती है। वेशभूषा, खान-पान, रहन-सहन, परिवार, धर्म आदि क्षेत्रों में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। निजी स्वतंत्रता मनुष्य की जीवन शैली से संबंधित है। इसका प्रभाव जैसे ही समाज पर पड़ना आरंभ हो जाता है इस पर नियंत्रण अपेक्षित है।

3). नागरिक स्वतंत्रता (Civil liberty)

नागरिक स्वतंत्रता का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर व अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। नागरिक स्वतंत्रता कभी भी असीमित तथा निरंकुश नहीं हो सकती है। नागरिक स्वतंत्रता के दो प्रकार हैं -

1). शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता।
2). व्यक्ति की व्यक्ति और व्यक्तियों के समुदाय से स्वतंत्रता।

शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों तथा अन्य किसी तरह से व्यक्ति को प्रदान की जाती है। समुदाय से स्वतंत्रता मनुष्य के वे अधिकार हैं जिन्हें वह राज्य के विभिन्न समुदायों के विरुद्ध प्राप्त करता है।

4). राजनीतिक स्वतंत्रता (Liberty in Political)

राज्य के कार्यों व राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सेदारी का नाम राजनीतिक स्वतंत्रता है। गिलक्राइस्ट इसे लोकतंत्र का दूसरा नाम बताते हैं। यह वह स्वतंत्रता है जिसमें प्रत्येक नागरिक को मतदान करने, चुनाव में हिस्सा लेने एवं सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति पाने का अधिकार है। लास्की के अनुसार " राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है।" राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं-

1) मतदान का अधिकार।
2) निर्वाचित होने का अधिकार।
3) सरकार के कार्यों का आलोचना का अधिकार।
4) सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार।

5). आर्थिक स्वतंत्रता (Economic liberty)

लास्की के अनुसार " आर्थिक स्वतन्त्रता का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा तथा सुविधा प्राप्त हो। व्यक्ति को बेरोजगारी और अपर्याप्तता के निरंतर भय से मुक्त रखा जाना चाहिए जो कि अन्य किसी भी अपर्याप्तता की अपेक्षा व्यक्तित्व की समस्त शक्ति को बहुत अधिक आघात पहुंचाती है। व्यक्ति को कल की आवश्यकताओं से मुक्त रखा जाना चाहिए।"

6). धार्मिक स्वतंत्रता (Religious liberty)

इसका संबंध अंतकरण से है। यह व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने आस्था व आचरण की छूट देता है। इस स्वतंत्रता में धर्म के संस्कार, रीति रिवाज पूजा के तरीके, संस्थाओं के गठन व धर्म के प्रचार की आजादी देता है। धर्म के नाम पर कानून व्यवस्था भंग करना या बलात धर्म परिवर्तन करने की अनुमति इस स्वतंत्रता में

नहीं है।

7). नैतिक स्वतंत्रता (Ethical liberty)

नैतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की उस मानसिक स्थिति से है जिसमें वह अनुचित लोभ-लालच के बिना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता है। काण्ट के विचार में व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा शक्ति ही उसकी वास्तविक स्वतंत्रता है।

8). सामाजिक स्वतंत्रता (Social liberty)

सामाजिक स्वतंत्रता सामाजिक समानता व न्याय की जननी मानी जाती है, मनुष्य के साथ जाति, वर्ग, वर्ण, लिंग, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाना व समान व्यवहार करना सामाजिक स्वतंत्रता है। हमारे संविधान में समता का अधिकार इसी स्वतंत्रता को पुख्ता करने के लिए दिया गया है। कानून के समक्ष समता व समान कानूनी संरक्षण प्राप्त हो। यही सामाजिक स्वतंत्रता है।

9. राष्ट्रीय स्वतंत्रता (National liberty)

कोई राष्ट्र जब सम्प्रभु राज्य बन जाता है तो यही राष्ट्रीय स्वतंत्रता का परिचायक है, अर्थात वह अन्य देशों के आदेश पालन से मुक्त हो जाता है। उपनिवेशवाद इसका सबसे बड़ा शत्रु है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति की अन्य स्वतंत्रताएँ गौण है।

10). संवैधानिक स्वतंत्रता (Constitutional liberty)

यह नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त की जाती है। संविधान ऐसी स्वतंत्रताओं की रक्षा की गारंटी देता है जिससे शासन भी कटौती नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान का अनु० 32 नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है।